तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29-11-19	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय भ्रमण/अवकाश में पधारे हुए हैं। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 27/12/2019 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी,	
27-12-19	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय भ्रमण/अवकाश में पधारे हुए हैं। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 7/2/2020 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी,	
7/2/20	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय भ्रमण/अवकाश में पधारे हुए हैं। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 14/2/2020 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी,	
14/2/20	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय भ्रमण/अवकाश में पधारे हुए हैं। अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 27/2/2020 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी,	
27/2/2020	पक्षकान उपस्थित। वकील वादी ने प्रा. पत्र का जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र O-7 R-11 पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा. पत्र दिनांक 6/3/2020 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी	

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
|2020	पक्षकान उपस्थित। प्रार्थना-पत्र आदेश 07 नियम-11 का निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल हो तदनुरूप पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी	

Scanned by CamScanner

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सुमित्रा पारिक, आर. ए. एस.।

राजस्व वाद संख्या–23/2019

वादीगण :– वदियादेवी व अन्य

बनाम

प्रतिवादीगण :– चौथी व अन्य

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12, 9, 80 आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.:–

उपस्थिति :–
1– श्री दिनेश आदिवाल, अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2– श्री दिनेश कुमार माली, अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।
3– सरकारी पैरोकार प्रतिवादी संख्या छ व सात की ओर से।

आदेश दिनांक–06/3/2020

प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12, 9, 80 व आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. का पेश कर अभिकथित किया गया है कि वादीगण ने मौजा गांव भादरलाउ के खसरा नम्बर 396/1(पुराने) रकबा 10 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 371 है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध मे उद्घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जो वाद विधि व क्षेत्राधिकारिता से वर्जित है। वादी का वाद वाद हेतुक के अभाव मे खारिज योग्य है। वादीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार नही है जिससे धारा 53 व 188 के तहत वाद विधि वर्जित है। धारा 53 के तहत अभिलिखित खातेदार ही

पेज 2 पर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

बंटवाडे का वाद ला सकता है। वादग्रस्त आराजी के दोनो खातों मे वादीगण अभिलिखित खातेदार या सहखातेदार नही होने से वाद विधि वर्जित है। वादीगण ने पुराने खसरा नम्बर 396/1 के नये खसरा नम्बर 371 वर्णित करते हुए उसका रकबा 10 बीघा वर्णित किया है। जिसका कोई राजस्व रेकर्ड पेश नही किया है। वादीगण का वाद भू आंवटन के विरूद्ध होने से व इस संबंध मे कार्यवाही माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के न्यायालय मे विचाराधीन होने से वादीगण का वाद पूर्व कार्यवाही विचाराधीन रहते अन्य वाद कार्यवाही विधि वर्जित होने से वाद खारिज योग्य है। वाद आंवटन से संबंधित होने से श्रीमान् न्यायालय को क्षेत्राधिकारिता नही होने से वादीगण का वाद खारिज योग्य है। वादीगण के द्वारा सिविल न्यायालय देसूरी मे वाद संख्या 13/2019 को माननीय न्यायालय मे आंवटन की कार्यवाही विचाराधीन होने और वादिनी वादग्रस्त विलेख की पक्षकार नही होने से तथा विलेख मे वर्णित कृषि भूमि मे वादिनी का कोई हक नही होने से और हक तय कराने बाबत आंवटन के विरूद्ध कार्यवाही संधारित होना मानते हुए वाद खारिज किया गया है। जिससे भी उक्त वाद विधि वर्जित होने से खारिज योग्य है। इस प्रकार से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद खारिज फरमावे।

वादीगण/अप्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र के जवाब मे कथन किया कि वादीगण का वाद विधि व क्षेत्राधिकारिता से वर्जित नही है। वाद पत्र मे वाद हेतुक मौजूद है। वादीगण ने विधि अनुसार वाद पेश किया है। वादीगण का वाद साक्ष्य व गुणावगुण के बिना निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है। वादी का वाद धारा 88 व 53 मे संवहनीय होने से विधि अनुसार पेश किया है। वादग्रस्त आराजी मूल रूप से एक ही खाते की होने से अलग अलग खातो का एक ही वाद पेश किया है। वादी के वाद मे साक्ष्य ली जाकर ही वाद का निस्तारण किया जाना नितान्त आवश्यक है। वाद पत्र मे वादीगण के खातेदारी अधिकारो का निर्धारण किया जा रहा है। अतः वाद पत्र विधि द्वारा पोषणीय है। वादी का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज होने के पश्चात राजस्व भूमि से संबंधित होने से घोषणा का वाद श्रीमान् के समक्ष विधि अनुसार पेश किया है। श्रीमान के न्यायालय को वादीगण के वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। अन्त मे प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

उभय पक्षो की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दोराने बहस प्रतिवादी/प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया और अपनी बहस के संबंध मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

2019 (1) आर. आर. टी. पेज 268

पेज 3 पर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता वादी/अप्रार्थीगण की ओर से अपने जवाब के वर्णित तथ्यो को दोहराया और अपनी ओर से निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किया गया।

2019 (1) आर. आर. टी. पेज 264

उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण मे वादीगण ने वादग्रस्त आराजी के संबंध मे धारा 53, 88, 188 राज. काश्त. अधि. के तहत वाद पेश किया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित या सहखातेदार नही है। यह सुस्थापित विधि है कि अभिलिखित खातेदार ही विभाजन का वाद ला सकता है। वादीगण का वाद मुख्य रूप से आंवटन के विरूद्ध है जो कि केसाराम अर्थात प्रतिवादी संख्या एक के पति को किया गया है । जिसके संबंध मे वादीगण ने कार्यवाही समक्ष न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पाली के न्यायालय मे की गई थी जिसमे निर्णय दिनांक 18.06.2019 को हो चुका है। निर्णयानुसार वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। वादीगण के द्वारा सिविल न्यायालय देसूरी मे वाद संख्या 13/2019 को माननीय न्यायालय मे आंवटन की कार्यवाही विचाराधीन होने और वादिनी वादग्रस्त विलेख की पक्षकार नही होने से तथा विलेख मे वर्णित कृषि भूमि मे वादिनी का कोई हक नही होने से और हक तय कराने बाबत आंवटन के विरूद्ध कार्यवाही संधारित होना मानते हुए वाद खारिज किया गया है। इस तरह से विभिन्न न्यायालयो मे वादीगण ने एक के बाद मे एक कार्यवाही की है जो सभी खारिज की जा चुकी है। वादग्रस्त आराजी पर आंवटन के समय से प्रतिवादी का कब्जा है अर्थात लगभग 50 वर्षो से कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या एक के पति केसाराम को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो गये है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या छ व सात के विरूद्ध भी वाद पेश किया है जिनको न तो 80 सीपीसी का नोटिस दिया नही नोटिस मे छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। विधि अनुसार भी स्थाई निषेधाज्ञा हेतु केवल काश्तकार ही वाद पेश कर सकता है। वादीगण ने समस्त कार्यवाहियां प्रतिवादीगण के विरूद्ध तंग पेरशान करने के लिए की हो ऐसा प्रतीत होता है। वादीगण का वाद का मुख्य अनुतोष वादग्रस्त आराजी मे से पांच बीघा भूमि की खातेदारी की उद्घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना है।

पेज 4 पर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

जबकि प्रतिवादी संख्या एक के पति केसाराम के आंवटन को सक्षम न्यायालय ने सही होना माना है तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने को भी विधि अनुसार माना है जिसके पश्चात पुनः वादीगण के द्वारा वाद पेश करके उक्त अनुतोष की मांग करना विधि वर्जित है। उक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद विधि वर्जित है।

अतः प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12, 9, 80 आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है और वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। आदेशानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

आदेश आज दिनांक–06/03/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सुमित्रा पारिक, आर. ए. एस.।

वादीगण :– वदियादेवी व अन्य **बनाम** **प्रतिवादीगण** :– चौथी व अन्य

दावा बाबत – 53,88,188 **राज. काश्त. अधि . 1955**

राजस्व वाद संख्या–23 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री दिनेश आदिवाल एडवोकेट मिनजानिब मुददई व श्री दिनेश कुमार माली एडवोकेट मिनजानिब मुहायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि– प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12, 9, 80 आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है एवं उक्त आधार पर वादीगण– वदियादेवी व अन्य का वाद बाबत अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

बरोज .....मुबलिज.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयानी तक.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज 06 माह 03 2020 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी

दस्तखत
ओहदा

मद्धई	रूपया पेसा	मुद्धायलास	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीनामा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प हारी	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनताना वकील पर	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक		मिजान	
मिजान			

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नही दर्ज किया जावे।

Scanned by CamScanner